संपादकीय जागरण

शनिवार, 19 मई, 2018 : ज्येष्ठ शुक्ल 4-5 वि. 2075

निराशा से बढ़कर दूसरा कोई पाप नहीं है

सरकार का फैसला

त्रिशंकु विधानसभा वाले कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके बीएस येद्दयुरप्पा को 15 दिन के बजाय अगले कुछ घंटों में बहुमत साबित करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश से यही स्पष्ट हो रहा कि राज्यपाल ने उन्हें आवश्यकता से अधिक समय दे दिया था। वैसे यदि 15 दिन का समय जरूरत से ज्यादा था तो करीब 30 घंटे का समय कुछ कम इसलिए दिख रहा है, क्योंकि कांग्रेस और जनता दल-एस अपने विधायकों को राज्य के बाहर ले जा चुके हैं। इस बारे में किसी के लिए भी कुछ कहना कठिन है कि ये विधायक विश्वास मत परीक्षण के समय अपने-अपने दल के प्रति निष्ठावान बने रहेंगे या नहीं? वे अगर अपने-अपने दल के प्रति वास्तव में निष्ठावान होते तो शायद उन्हें बचाने-छिपाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। कांग्रेस और जद-एस के विधायक अपनी निष्ठा चाहे जिस रूप में व्यक्त करें, यह तय है कि येद्दयुरप्पा तभी विश्वासमत हासिल कर सकेंगे जब इन दलों के कुछ विधायक प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उनकी मदद करेंगे। जिस तरह कर्नाटक की भाजपा सरकार विरोधी दलों के विधायकों के सहयोग-समर्थन से ही बच सकती है उसी तरह कांग्रेस और जद-एस की सरकार तभी बन सकती है जब उसके विधायक सचमुच एकजुट रहें।

यह अच्छा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि सरकार गठन के मामले में राज्यपालों के लिए यह आवश्यक नहीं कि वे सबसे बड़े दल के मुकाबले चुनाव बाद गठबंधन वाले दलों को प्राथमिकता दें। अगर कर्नाटक के राज्यपाल ने येद्दयुरप्पा को बहुमत साबित करने के लिए 15 दिन का समय नहीं दिया होता तो शायद सुप्रीम कोर्ट को उनके फैसले में कोई हेर-फेर करने की जरूरत नहीं पड़ती। बेहतर होगा कि राज्यपाल बहुमत साबित करने की समय सीमा तय करते समय तब अधिक सतर्क रहें जब सरकार बनाने जा रहे दल के पास पर्याप्त बहुमत न हो। कहना कठिन है कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला नजीर बन सकेगा या नहीं, क्योंकि राज्यपालों के फैसलों को लेकर रह-रह कर सवाल उठते ही रहते हैं। बेहतर होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अपना अंतिम फैसला इस तरह दे जिससे भविष्य में सरकार गठन के सवाल उसकी चौखट तक न आएं। यह कोई आदर्श स्थिति नहीं कि सुप्रीम कोर्ट को सरकार के गठन से जुड़े सवाल का समाधान करने के लिए रात को अपनी कार्यवाही करनी पड़ी। क्या यह किसी के जीवन-मरण का प्रश्न था? यदि सुप्रीम कोर्ट इस तरह याचिकाएं सुनने लगा तो फिर रात में याचिकाएं सुनने का एक नया सिलसिला कायम हो सकता है। ऐसे सिलसिले से बचा जाना चाहिए, क्योंकि जिन्हें मन मुताबिक फैसला न मिलने पर सुप्रीम कोर्ट की आलोचना करनी ही है वे बाज आने वाले नहीं हैं। क्या इससे विचित्र और कुछ हो सकता है कि कर्नाटक चुनाव के दौरान जो राहुल गांधी यह कह रहे थे कि न्यायपालिका को डराया जा रहा है वह अब उसके फैसले पर खुशी जता रहे हैं? उचित तो यह होगा कि कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ऐतिहासिक बताने के पहले इसके लिए माफी मांगे कि वह अपने संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थों के लिए उसकी छवि से खेल रही थी।

बंगलों का मोह

पूर्व मुख्यमंत्रियों को अब सरकारी बंगले खाली ही करने पड़ेंगे। केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने बंगला खाली करने की शुरुआत करके बाकी लोगों के लिए मुश्किल भी खड़ी कर दी है और उन्हें रास्ता भी दिखा दिया है। राजनाथ की पहल सराहनीय है और आशा की जानी चाहिए कि अन्य लोग भी उनका अनुसरण करेंगे। राज्य संपत्ति विभाग ने पूर्व मुख्यमंत्रियों को 15 दिन में बंगले खाली करने का नोटिस भी थमा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अखिलेश सरकार के बनाए कानून को खारिज करते हुए बंगले खाली करने का फैसला सुनाया था। अदालत ने कहा था कि पूर्व मुख्यमंत्रियों को बंगले देने की परंपरा कानूनी दृष्टि से गलत है और उन्हें ये बंगले खाली कर शासन को सौंप देने चाहिए। अहम सवाल है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट जाने की नौबत ही क्यों आई।

> ऐसे और भी मामले हैं जहां पूर्व माननीयगण अनावश्यक सरकारी सुविधाओं का लाभ लेकर जनता के हक पर डाका डाल रहे हैं

नेता यह बात क्यों नहीं मानते। क्यों उनका रथ धरती से ऊपर चलने लगता है। लोकतंत्र में जहां जनता ही सब कुछ तय करती है, वहां किसी के लिए कुछ भी स्थायी नहीं है। बावजूद इसके सत्ता की सुविधाओं के आदी नेतागण न केवल इस बात को भूल जाते हैं, बल्कि तमाम सुविधाओं को उम्र भर पाते रहना अपना अधिकार भी समझ लेते हैं। जहां संवैधानिक स्थितियों या कानून से टकराव होता है, वहां नया विधान गढ़ लेते हैं। बंगलों के मामले में यही मुख्यमंत्री रहते हुए अखिलेश यादव ने किया। सरकारी बंगलों के मामले में भी यही हुआ। संवैधानिक पद जाने के बाद मुख्यमंत्री भी आम नागरिक हो जाता है, यह बात सुप्रीम कोर्ट को याद दिलानी पड़ी। बहरहाल, यह तो केवल एक मामला है। ऐसे और भी मामले हैं जहां पूर्व 'माननीयगण' अनावश्यक सरकारी सुविधाओं का लाभ लेकर जनता के हक पर डाका डाल रहे हैं।

कह के रहेंगे

माधव जोशी

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या रमजान के दौरान जम्मू-कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ अभियान नहीं चलाने का निर्देश सही कदम है?

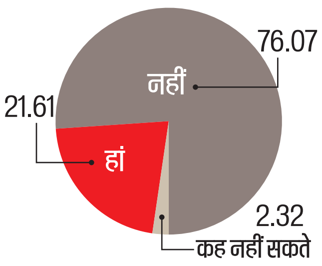

आज का सवाल

क्या पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने संतोषजनक प्रयास किए हैं?

अपनी राय और अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर POLL लिखें, स्पेस देकर Y, N या C लिखकर 57272 पर भेजें
Y -हां, N-नहीं, C-कह नहीं सकते

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।
सभी आंकड़े प्रतिशत में।

दक्षिण में भाजपा की कठिन परीक्षा

डॉ. एके वर्मा

यदि येद्दयुरप्पा विश्वास मत हासिल नहीं कर पाते तो भी राज्यपाल पर कोई संवैधानिक दबाव नहीं कि वह कांग्रेस-जदएस गठबंधन को सरकार बनाने के लिए बुलाएं ही

दक्षिण भारत के बड़े राज्य कर्नाटक में भाजपा ने 2008 के बाद दोबारा दस्तक दी। बहुमत के लक्ष्य से कुछ दूर रहने पर भी सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते राज्यपाल वजुभाई वाला ने भाजपा विधायक दल के नेता बीएस येद्दयुरप्पा को सरकार बनाने का आमंत्रण दिया। कुछ नाटकीय घटनाक्रम के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री की शपथ भी ले ली। इसके पहले कांग्रेस ने जनता दल-सेक्युलर के एचडी कुमारस्वामी को आनन-फानन समर्थन देकर पिछले दरवाजे से सरकार बनाने की कोशिश की। इस कोशिश में नाकाम रहने पर उसने राज्यपाल के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। रात को हुई सुनवाई में सर्वोच्च न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की पीठ ने कांग्रेस के वकील अभिषेक मनु सिंघवी और भाजपा के वकील पूर्व अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी की दलीलें सुनीं, लेकिन उसने राज्यपाल के निर्णय और येद्दयुरप्पा के शपथ ग्रहण पर रोक लगाने से मना कर दिया। इसके बाद इस पीठ के न्यायाधीशों-जस्टिस एके सीकरी, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस शरद अरविंद बोबडे ने येद्दयुरप्पा को जल्द विश्वास मत हासिल करने का आदेश दिया। जाहिर है कि कर्नाटक में अनिश्चय की जो स्थिति मौजूद है वह बहुमत परीक्षण के बाद ही दूर होगी। बहुमत परीक्षण के नतीजे कुछ भी हों, इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि आगामी लोकसभा चुनाव के ठीक पहले दक्षिण भारत के इस महत्वपूर्ण राज्य में भाजपा की सरकार बनना जहां नरेंद्र मोदी की बढ़ती लोकप्रियता का संकेतक है वहीं यह 'कांग्रेस-मुक्त-भारत' या 'भाजपा-सिस्टम' की ओर एक और कदम है। कांग्रेस जैसा राष्ट्रीय दल अब केवल पंजाब, पुदुचेरी और मिजोरम में सिमट कर रह गया है, पर उसे संगठनात्मक, नेतृत्वमूलक और विचारधारा के स्तर पर गंभीर परिवर्तन करने की जरूरत महसूस नहीं हो रही। इतिहास कांग्रेस को इस बात के लिए जिम्मेदार मानेगा कि अपनी हठधर्मिता के कारण उसने भारतीय लोकतंत्र को उसी 'एक ध्रुवीय राजनीति' की ओर धकेल दिया जो स्वतंत्रता के बाद व्याप्त थी और जिससे निकाल कर 'हम भारत के लोग' उसे बमुश्किल बहुदलीय-बहुध्रुवीय व्यवस्था की ओर लाए।

संविधान का अनुच्छेद 163 राज्यपाल को विशेषाधिकार देता है कि त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति में किसे मुख्यमंत्री के लिए आमंत्रित किया जाए? यह उसका ऐसा विशेषाधिकार है जिसमें सामान्यतः न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करता और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने येद्दयुरप्पा के शपथ ग्रहण पर रोक नहीं लगाई। संविधान लागू होने के बाद इस संबंध में कोई स्पष्ट व्यवस्था विकसित नहीं हो पाई कि त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति में राज्यपाल सबसे बड़े दल के नेता को मुख्यमंत्री की शपथ के लिए बुलाए या चुनाव बाद किए गए गठबंधन के नेता को? 2002 में जम्मू-कश्मीर, 2005 में झारखंड और 2013 में दिल्ली में क्रमशः कांग्रेस-पीडीपी के मुफ्ती मुहम्मद सईद, झारखंड-मुक्ति मोर्चा के शिबू सोरेन और आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया गया जबकि जम्मू-कश्मीर में नेशनल कांफ्रेंस और झारखंड एवं दिल्ली में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी थी। हाल में गोवा और मणिपुर में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी न होने के बावजूद सरकार बनाने के लिए आमंत्रित की गई, जबकि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने की वकालत कर रही थी। त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति में राज्यपाल जब अनुच्छेद 164 के तहत सरकार बनाने के लिए किसी को मुख्यमंत्री की शपथ दिलाने के लिए आमंत्रित करता है तो उसके सामने कई प्रश्न होते हैं। क्या सबसे बड़ा दल जनता की पसंद है? क्या उसका नेता स्थिर सरकार दे सकता है? क्या वह सदन में शीघ्र अपना बहुमत सिद्ध कर सकता है? राज्यपाल पर संविधान कोई बंदिश नहीं लगाता। कर्नाटक में राज्यपाल ने येद्दयुरप्पा को 15 दिन का समय दिया, लेकिन जैसा कि अपेक्षित था, सुप्रीम कोर्ट ने इस लंबी अवधि में प्रभावी कटौती कर दी। अब देखना है कि येद्दयुरप्पा विश्वास मत हासिल कर पाते हैं या नहीं? यदि वह विश्वास मत हासिल नहीं कर पाते तो भी राज्यपाल पर कोई संवैधानिक दबाव नहीं कि वह कांग्रेस-जनता दल-एस को सरकार बनाने के लिए बुलाए ही। वह बुला भी सकता है और नहीं भी। वह राष्ट्रपति शासन की भी संस्तुति कर सकता है और विधानसभा भंग भी कर सकता है। एसआर बोम्मई मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि राज्यपाल की जिम्मेदारी है कि वह उसी पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करे जो स्थिर सरकार दे सके। सरकारिया आयोग ने 1983 में जो प्रतिवेदन दिए और 'रामेश्वर प्रसाद बनाम भारत सरकार' मुकदमें (2005) में जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने मान्यता दी उसमें स्पष्ट रूप से उस क्रम का उल्लेख किया गया है जिसमें त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति में राज्यपाल किसी को आमंत्रित करेगा। सर्वप्रथम वह चुनाव पूर्व गठबंधन को आमंत्रित करेगा। इसके बाद वह सबसे बड़े दल को सरकार बनाने का न्योता देगा और तीसरे क्रम में वह चुनाव बाद किए गए गठबंधन को बुलाएगा। कर्नाटक में कांग्रेस-जदएस गठबंधन चुनाव बाद वाला गठबंधन है।

अवधेश राजपूत

ज्ञात हो कि जब फरवरी 2005 में बिहार विधानसभा त्रिशंकु रूप में सामने आई और लालू यादव की राजद को बहुमत नहीं मिल सका तो राज्यपाल बूटा सिंह ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में भाजपा-जद-यू के चुनावपूर्व गठबंधन को सरकार बनाने का मौका नहीं दिया और राष्ट्रपति शासन की शिफारिश कर दी। जब नीतीश कुमार ने अप्रैल में सरकार बनाने का दावा किया तो उनको मौका दिए बिना बूटा सिंह ने विधानसभा भंग कर दी। सर्वोच्च न्यायालय ने बूटा सिंह की कड़ी निंदा की और उस फैसले को असंवैधानिक करार दिया। कर्नाटक में उभरे माहौल की चर्चा कर रहे राजनीतिक दलों को अतीत के ये प्रसंग अवश्य याद रखने चाहिए। मौजूदा परिदृश्य में येद्दयुरप्पा के लिए आसानी से विश्वास मत हासिल करना तभी संभव होगा जब कांग्रेस एवं जद-एस के अनेक नव निर्वाचित विधायक अपने-अपने दलों से नाराज हों और वे भाजपा को सत्ता में देखना चाहते हों। संभव है कि कांग्रेस-जद-एस के कुछ विधायक मतदान में उपस्थित ही न हों और मुख्यमंत्री येद्दयुरप्पा बहुमत सिद्ध कर ले जाएं। ऐसा करने से वे विधायक 'दल-बदल कानून' की धारा 2(बी) के तहत अपने पार्टी के 'व्हिप' का उल्लंघन करने के कारण विधानसभा की सदस्यता से वंचित हो सकते हैं। जो भी हो, येद्दयुरप्पा के विश्वास मत हासिल करने की स्थिति में यह प्रश्न खड़ा होगा कि क्या वह कर्नाटक को एक ऐसी सरकार दे पाएंगे जो जनता को राहत दे सके? वैसे तो कर्नाटक विकसित राज्य माना जाता है, लेकिन अभी वहां विकास की अनंत संभावनाएं हैं। भाजपा को कन्नड़ अस्मिता और लिंगायत जैसे संवेदनशील प्रश्नों का भी उत्तर खोजना होगा, क्योंकि कांग्रेस आगामी लोकसभा चुनावों में इन प्रश्नों को पुनः जीवित करने और उनका राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश जरूर करेगी। हालांकि लोकसभा चुनावों में कांग्रेस और राहुल का भाजपा के खिलाफ महागठबंधन की धुरी बनने की संभावना काफी कमजोर हो गई है, लेकिन येद्दुरप्पा के पास भी समय बहुत कम है।

(लेखक सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ सोसायटी एंड पॉलिटिक्स के निदेशक हैं)

response@jagran.com

बेरहमी से कत्ल होते रिश्ते

क्षमा शर्मा

इससे खराब बात और कोई नहीं कि किसी संबंध को खत्म करने का एकमात्र उपाय उसकी हत्या में देखा जाए?

हाल में आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में एक नव विवाहिता को अपने पति की हत्या कराने के अपराध में गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार महिला ने पति की हत्या के लिए बीटेक कर चुके कुछ बेरोजगार युवकों का सहारा लिया। इनमें उसका दोस्त भी शामिल था। वह भी बीटेक है। महिला का पति भी इंजीनियर था। महिला ने हत्या करने वालों को तोहफे के रूप में अपनी शादी की अंगूठी दी थी। उसने हत्यारों को कुछ पैसे आनलाइन भी भेजे थे और कुछ नगद दिए थे। महिला ने ही पुलिस में शिकायत कराई थी कि रात आठ बजे जब वह अपने पति के साथ बाइक से लौट रही थी तो रास्ते में आटो में सवार लुटेरों ने उनकी बाइक रोक उसके जेवरात छीन लिए और उसके पति की हत्या कर दी। जब पुलिस ने तमाम आटो वालों से पूछताछ की तब उसे वे तीन युवक मिले जिन्होंने हत्या की थी। पुलिस की सख्ती के सामने उन्होंने हत्या की पूरी कहानी बयान की। महिला ने बाकायदा योजना बनाकर एकांत जगह पर किसी बहाने से बाइक रुकवाई थी। हत्यारे उनका पीछा कर ही रहे थे। पूरी घटना पढ़कर उस लड़के के लिए दुख होता है जिसने अपनी जान बिना कारण गंवा दी। अगर महिला उससे शादी न करके, अपने दोस्त से शादी कर लेती तो शायद उसके पति बने युवक की जान न जाती। आखिर उसका क्या दोष था?

आजकल अक्सर ऐसी घटनाएं सुनाई देती हैं, जहां लड़कियां परिवार या समाज के दबाव के कारण अपनी मर्जी के बिना विवाह कर लेती हैं और फिर कई बार खतरनाक इरादों को अंजाम देती हैं। एक समय यह माना जाता था कि अगर प्रेमी या प्रेमिका की शादी हो गई तो उनके रास्ते और दुनिया अलग हो गई। वे संबंध अतीत के हुए इसलिए उन्हें भूलना ही बेहतर है, लेकिन अब बहुत सी ऐसी घटनाओं में लड़कियां अपने माता-पिता या समाज के डर या संकोच के कारण अपने मन की बात नहीं कह पातीं और उधर उन्हें अपनी शादी रास नहीं आती। वे हर हाल में अपने प्रेमी के पास लौट जाना चाहती हैं। बहुत से मामलों में लड़के भी ऐसा करते हैं। रिश्तों में टूटन से उपजे अपराध के मामलों में एक कहानी गढ़ ली जाती है। कई बार कहानी इतनी सावधानी से गढ़ी जाती है कि अपराधी पकड़ में नहीं आते, लेकिन बहुत बार वे पकड़े भी जाते हैं। जो लोग अपराध के लिए बाहर के अपराधियों की मदद लेते हैं उन्हें लगता है कि वे कभी नहीं पकड़े जाएंगे और पकड़े भी गए तो हत्या तो उन्होंने की नहीं इसलिए छूट भी जाएंगे। अक्सर वे यही सोचते हैं कि उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। ऐसा ही विजयनगरम की महिला ने सोचा होगा। उसने सोचा होगा कि पति की हत्या के बाद वह आराम से अपने दोस्त के साथ रह सकेगी, लेकिन अपराध के प्रमाण सामने आ ही जाते हैं। इस महिला ने अपने पति को खुद मरवाया और उसे दोस्त के बदले जेल मिली। इस घटना से यह भी पता चलता है कि आजकल कितनी बड़ी संख्या में उच्च शिक्षित युवा अपराध की राह पकड़ रहे हैं। हालांकि अपराधी बनने का कारण सिर्फ बेरोजगारी ही नहीं होती। लूटपाट के जरिये मुफ्त के पैसे की आमद का लालच भी युवाओं को इस तरफ खींच ले जाता है। आजकल मारपीट और दूसरे छोटे-मोटे अपराधों के मुकाबले हत्या करना कुछ आसान सा दिखने लगा है। क्या इसलिए कि जिसकी हत्या की जाती है वह कभी बदला लेने नहीं आता? जो भी हो, आजकल बात-बात में हत्या की खबरें देखने को मिलती हैं। पचास-सौ रुपये के लिए या एक कप चाय या एक सिगरेट न देने पर हत्या की खबरें आती रहती हैं। विजयनगरम की घटना में मात्र 18 हजार रुपये और एक अंगूठी देकर हत्या करा दी गई। यह बात दिल दहला देने वाली है कि जिसने अंगूठी दी उसी के हत्यारों को उसकी हत्या के बदले अंगूठी उपहार में दे दी गई।

कोई यह कह सकता है कि इतने दिनों से पुरुष औरतों को सता रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, हत्या कर रहे हैं तो एक औरत ने ऐसा कर दिया तो क्या हो गया, लेकिन जब पुरुषों को किसी हत्या या दहेज के लिए पत्नी को सताने अथवा तरह-तरह की हिंसा करने के लिए माफ नहीं किया जा सकता तो औरतों को भी क्यों किया जाना चाहिए? वैसे भी साथ न रहना हो तो मित्रता को बरकरार रखते हुए संबंध खत्म किए जा सकते हैं। यह क्या बात हुई कि किसी संबंध को खत्म करने का एकमात्र उपाय हत्या में देखा जाए? अफसोस है कि समाज में इतनी हिंसा बढ़ गई है कि संबंधों पर विश्वास भी खत्म होता जा रहा है। कभी कोई पिता अपने दुधमुंहे को मार देता है, कोई मां बच्ची का गला दबा देती है। ये वे संबंध हैं जो बेहद नजदीक के-परिवार के हैं। ये संबधों में हमारी आस्था टूटने का प्रमाण भी हैं। यह आस्था कैसे बचेगी, कैसे संबंधों की डोर फिर से मजबूत होगी, कौन बताए।

(लेखिका साहित्यकार हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

आशा

आशा ही जीवन है, निराशा ही मृत्यु है। आशा मनुष्य के जीवन में शक्ति का संचार करती है, जबकि निराशा उसे पतन की ओर ले जाती है। आशा मनुष्य का शुभ संकल्प है। ये विशालकाय धरती और आकाश हमारी आशा पर ही टिके हैं और इस दुनिया के सारे काम आशा पर ही चलते हैं। अगर आशा न होती तो ये दुनिया नीरस और बोझिल होती। आशा है, इसलिए दुनिया में उमंग है, तरंग है, रंग है। मनुष्य की प्रत्येक उन्नति, सफलता और लक्ष्य की प्राप्ति का संचार आशा से ही है। जैसे-दीप का प्रकाश, अग्नि का ऊर्जा और समुद्र का लहरों से, वैसे ही आशा का मनुष्य का आत्मा से अटूट संबंध है। आशा ही मनुष्य में यह विश्वास जगाती है कि इस धरा पर उसका भी अस्तित्व है और वह चाहे तो बहुत कुछ नया कर सकता है। मनुष्य परिस्थितियों का गुलाम नहीं होता, वह अपनी किस्मत खुद तय कर सकता है, लेकिन ऐसा तभी संभव है जब वह आशावादी होगा। आशावादी व्यक्ति अपनी क्षमता और कमजोरियों को ध्यान में रखते हुए ही अपना लक्ष्य तय करता है। उसे यह भान होता है कि राह में जटिल हालात से उसका मुकाबला जरूर होगा, इसलिए वह विपरीत परिस्थितियों में कभी विचलित नहीं होता। बाकायदा वह आवश्यक साधन जुटाकर अपनी लगन व मेहनत से विपरीत परिस्थितियों का डटकर मुकाबला करता है और मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियां भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पातीं। आखिर में सफलता उसके कदम चूमती है। यह आशा का ही कमाल है कि मनुष्य बड़ी-बड़ी मुसीबतों को हंसते-हंसते जीत लेता है। आशावादी दृष्टिकोण मनुष्य की क्षमता और दक्षता को बढ़ाता है इससे सफलता उसके और करीब आ जाती है।

जहां आशा ही नहीं, वहां प्रयास कैसे हो सकता है और जब कोई प्रयास ही नहीं होगा तो फिर सफलता मिलनी असंभव है। जीवन का आनंद संघर्षों से लड़कर जीने में ही है और मनुष्य आशावादी होकर ही संघर्ष कर सकता है। आशा ही उसे सफलता, सुख व आनंद सब कुछ दिलाती है। इसके विपरीत निराश व्यक्ति जीवन में उदासीन और विरक्त होने लगता है। निराश व्यक्ति कोशिश करने से पहले ही अपने को हारा हुआ मान लेता है और उसे अपना सब कुछ खत्म होता नजर आता है। हमें निराशा का विनाश करके आशा को अपना धर्म बनाना चाहिए।

शंभूनाथ पांडेय

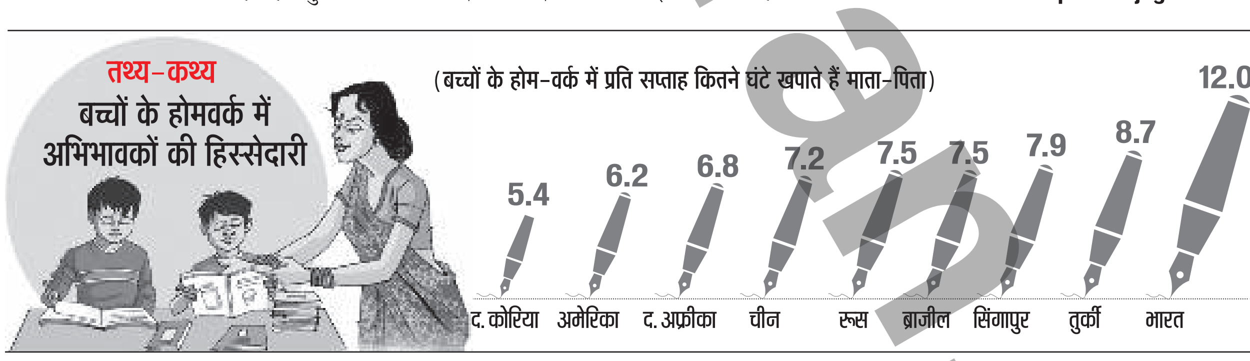

पाठकनामा

pathaknama@nda .jagran.com

कांग्रेस की लोकतांत्रिक नैतिकता का सच

नैतिकता के मनचाहे नियम शीर्षक से लिखे अपने लेख में प्रदीप सिंह ने महाभारत के एक दृष्टांत से कांग्रेस की लोकतांत्रिक नैतिकता की सच्चाई को स्पष्ट करते हुए यह माना है कि अपने हित में नैतिकता के नियम निर्धारित करने वाली कांग्रेस की जंघा पर जब भाजपा की लोकतांत्रिक गदा का प्रहार होने लगा तो वह नैतिकता की दुहाई देते हुए अर्धरात्रि में ही सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर पहुंच गई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने येद्दयुरप्पा के शपथ ग्रहण पर रोक नहीं लगाई और वे कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद पर आसीन हो गए। अब उन्हें निर्धारित समय सीमा में सदन के अंदर अपना बहुमत साबित करना होगा। इस संवैधानिक प्रक्रिया को जानते-बूझते हुए भी कांग्रेस ने लोकतंत्र के नाम पर जो वितंडावाद फैला रखा है, कदाचित् वह उसकी सत्ता से बाहर रहने की हताशा का प्रतिफलन है। लोकतांत्रिक नैतिकता को स्व-सुविधानुसार गढ़ने वाली कांग्रेस का पिछला इतिहास भी इस बात का साक्षी रहा है। आजाद भारत में इसी कांग्रेस ने लोकतंत्र को कुचलते हुए 1975 में आपातकाल घोषित कर देश की सभी संवैधानिक संस्थाओं को पंगु बना दिया था। आश्चर्य है कि आज वही कांग्रेस लोकतांत्रिक मर्यादा की दुहाई देकर पूरे देश में हल्ला मचा रही है। अगर यही लोकतांत्रिक नैतिकता है तो फिर मणिपुर, गोवा, मेघालय और बिहार में अपने राजनीतिक कौशल से सरकार बनाने वाली भाजपा की लोकतांत्रिक नैतिकता प्रश्न चिन्ह लगाना बेमानी है।

pandeyvp1960@gmail.com

ट्रेनों की लेटलतीफी

भारतीय रेलवे दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी रेलवे नेटवर्क है। यह रोज करोड़ों लोगो को अपने गंतव्य तक पहुंचने में मदद करती है, लेकिन वर्तमान समय में इससे सफर करना आसान नहीं है। बिहार से गुजरने वाली ट्रेनें तो 30-30 घंटे विलंब से चल रही हैं, जो इसके यात्रा समय से भी अधिक है। हमारी रेलवे खस्ता हाल हो चुकी है। भारत सरकार के राजस्व में रेलवे की बहुत बड़ी भूमिका होती है, लेकिन जब से रेलवे के लिए अलग से बनने वाले बजट को आम बजट में शामिल किया गया है तब से रेलवे की स्थिति और खराब हुई है। पिछले दो सालों में ट्रेन लेट होने की घटनाओं ने सभी सीमाएं लांघ दी हैं।

नीरज झा, दिल्ली विवि

विज्ञापन में महिलाएं

बड़ी-बड़ी कंपनियां उत्पाद बेचने के लिए करोड़ों रुपये विज्ञापन पर खर्च करती हैं। इसमें उत्पाद की बिक्री के लिए महिला को सम्मानजनक रूप से नहीं दिखाया जाता है। कई विज्ञापनों को परिवार के साथ देखने पर असहज महसूस होता है। इसका बच्चों के व्यवहार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

mkumar.sidhmukh@gmail.com

कांग्रेस ने भी किया था

अतीत में कांग्रेस सभी नियमों को ताक पर रखकर खेल खेलती रही। अपने चहेते राज्यपालों से विपक्ष की सरकारें गिरवाती रही। तब नियम और कायदे कहां थे। क्या तब मर्यादाओं का हनन नहीं हो रहा था। तब क्या संविधान और लोकतंत्र की हत्या नहीं हो रही थी। जब खुद पर पड़ी तो अब शिकायत कर रही है।

चंद्र प्रकाश शर्मा, दिल्ली

मंथन करे कांग्रेस

कर्नाटक चुनाव नतीजो ने एक बार फिर साबित कर दिया की कांग्रेस अपनी कमियों को सुधारने में नाकाम ही रही। कांग्रेस को विभिन्न राज्यों में मिल रही हार का मंथन करना चाहिए। कांग्रेस की गिरती साख लोकतंत्र के लिए भी खतरे की घंटी है, क्योंकि देश में एक ही पार्टी का बढ़ता वर्चस्व तानाशाही सरकार को जन्म दे सकता है।

raju09023693142@gmail.com

सर्वदलीय सरकार

पिछले कुछ दशकों से राज्यों से लेकर केंद्र तक में समर्थित दलों के मोर्चो की सरकारें स्थापित हो रही हैं। इससे हमेशा तनाव की स्थिति बनी रहती है। विपक्ष सरकार में शामिल होने से वंचित रहता है। दूसरे सरकार में भी एक मत नहीं होता है और हमेशा सौदेबाजी की स्थिति बनी रहती है। सरकारों को सही निर्णय लेने में भी दिक्कतें आती हैं। ऐसे बहुमत के आधार के बजाए जिसके जितने मत उस दल की उतनी हिस्सेदारी के अनुसार सरकार में शामिल होने का प्रावधान किया जाना चाहिए। इससे सभी दल जब सरकार में होंगे तो वे सही विपक्ष की भूमिका भी निभा सकेंगे। सरकार भी स्थाई होगी। अल्पमत-बहुमत का रगड़ा-झगड़ा भी मिटेगा। जनता के कामों में भी अड़चनें पैदा नहीं होंगी।

mahesh_nenava@yahoo.com

धांधली व लापरवाही

वाराणसी में एक निर्माणाधीन पुल गिरने से कई कारें, बस व अन्य वाहन उसकी चपेट में आ गए। इसमें कई लोगों की जानें चली गईं और दर्जनभर से ज्यादा लोग घायल हो गए। आखिर अचानक यह पुल कैसे गिर गया? इसका जवाब किसी के पास नहीं है और अगर है भी तो वह अपना मुंह इसलिए खोलना नहीं चाहते क्योंकि उससे वह खुद सलाखों के पीछे चले जाएंगे। सवाल कई हैं और जवाब सिर्फ सांत्वना है, जो घायलों व मृतकों के परिजनों को मुहावजा तो दिला सकती है लेकिन उनकी जान नहीं लौटा सकती। इस हादसे से स्पष्ट हो गया है कि निर्माण में धांधली अभी कम नहीं हुई है। इसी धांधली और लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ।

कवि दीपक वाष्णेय, दिल्ली

ट्वीट-ट्वीट

तो यदि 2019 में मोदी 51 फीसद सीट नहीं जीत पाए तो क्या सभी लूजर्स एकजुट होकर चुनाव बाद गठबंधन होने का दावा करेंगे और सुप्रीम कोर्ट जाकर सरकार बनाने की अनुमति मांगेंगे? कर्नाटक में हालात देख पूछना चाहता हूं कि ये सभी लूजर्स चुनाव पूर्व गठबंधन क्यों नहीं बनाते? क्या ऐसा करना उनके लिए मुश्किल होता है?

सुनील जैन@thesuniljain

अब बहुमत साबित करने के लिए जो काम चौदह दिन में करना था वह एक दिन में करना है। साम भी है, दाम भी है, दंड भी है, भेद भी है। बस नहीं है तो बहुमत। समय है चौबीस घंटे। अगर काम नहीं हुआ तो?

अजित अंजुम@ajitanjum

त्रिशंकु विधानसभा बनने के बाद राजनीतिक दल सरकार बनाने के लिए इस हद तक क्यों चले जाते हैं? क्या उनकी मंशा जनता का विकास करने की होती है?

अशोक खेमका@AshokKhemka_IAS

कांग्रेस को महाभियोग जैसे अपने मूर्खतापूर्ण कदम के लिए सुप्रीम कोर्ट से विनम्रतापूर्वक क्षमायाचना करनी चाहिए। जब नागरिकों के लिए सभी दरवाजे बंद हो जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट अंतिम संस्था है जो उसके लिए हमेशा खड़ी है।

शेखर गुप्ता@ShekharGupta

जनपथ

सबके मन में चल रहा क्या होगा अब आज,
बच पाएगी किस तरह येदयुरप्पा की लाज।
येदयुरप्पा की लाज बचाओ आय कन्हैया,
मुश्किल में सरकार अधर में दिखती नैया।
असमंजस का दौर कौन किस बाजू टपके,
लटके-लटके दीख रहे हैं चेहरे सबके।

- ओमप्रकाश तिवारी

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा जागरण प्रकाशन लि. के लिए डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित एवं 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग,रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित, संपादक (दिल्ली एनसीआर) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 23359961-62, नोएडा कार्यालय : 0120-3915800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No 50755/90 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त। वर्ष 28 अंक 304